



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 माघ, 1943 (श०)

संख्या -19 राँची, सोमवार,

24 जनवरी, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

17 जनवरी, 2022

कृपया पढ़ें :-

1. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग का ज्ञापन संख्या-6449, दिनांक 24.08.2018

संख्या-1/आ०-542/2018 का०-185--श्री मनीष रंजन, भा.प्र.से. (ज्ञा:2002), तत्कालीन उपायुक्त, देवघर, सम्प्रति सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के विरुद्ध विभागीय ज्ञापन संख्या-6449, दिनांक 24.08.2018 के द्वारा उपायुक्त, देवघर के रूप में पदस्थापन अवधि में निम्नांकित आरोप के बिन्दु पर आर्टिकल्स ऑफ चार्ज, इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट एवं मिसविहैवियर तथा साक्ष्यों की तालिका निर्गत करते हुए लिखित बचाव बयान की मांग की गयी-

आरोप संख्या-1

That, Shri Manish Ranjan while posted and functioning as Dy. Commissioner-cum-District Registrar, Deoghar during 28.04.2007 to 20.06.2008 committed grave misconduct in as much as though he had given an order for enquiry on the complaint dated 22.02.2007 of Shri Shivanand Jha of Deoghar alleging dishonest and fraudulent sale of non transferable land by culprit Shri Dhrub Narayan Parihast named therein yet did not take any action against land mafia in spite of submission of full-fledged enquiry report by Shri Lambodar Jha, the then ADC, Deoghar vide letter no.404/ra dated 05.04.2007 recommending therein initiation of legal action against Bhu Mafia and further informed to him by Sri Lambodar Jha vide his letter no.1097/Ra dated 31.08.2007. Had action been initiated by said Sri Manish Ranjan against culprits on the basis of above report, sale/ transfer of non-saleable land would not have taken place at Deoghar.

आरोप संख्या -2

That, Shri Manish Ranjan while posted and functioning as Dy. Commissioner-cum-District Registrar, Deoghar committed grave misconduct in as much as he had issued an Order No. 133 dated 31.01.2008 in the capacity of DC-cum-District Registrar, Deoghar regarding requirement of NOC in case of sale/ purchase or transferable land directing Circle Officer to go through various records before issuing NOC and DSR, Deoghar was instructed to execute registration on the basis of recent Bhu Satyapan Certificates from concerned Circle Office even though he was not empowered to issue such order.

आरोप संख्या-3

That, Shri Manish Ranjan while posted and functioning as Dy Commissioner-cum-District Registrar, Deoghar committed grave misconduct in as much as he failed to furnish his comment/report on the letters forwarded to him by the Commissioner, Santhal Pargana Pramandal, Dumka in 2007 in the matter related to claim of Shri Dhrub Narayan Parihast and Smt. Maheshwari Devi over land of Bandha mauza, Mohanpur Circle, Deoghar.

उपर्युक्त गठित आरोपों के विरुद्ध श्री मनीष रंजन, भा.प्र.से. (झा:2002), तत्कालीन उपायुक्त, देवघर के विरुद्ध गठित आरोप पत्र पर उनसे पत्रांक-139/स0को0, दिनांक 29.08.2018 के द्वारा बचाव बयान प्राप्त हुआ जिसपर विधि विभाग, झारखण्ड का मंतव्य एवं वर्तमान उपायुक्त, देवघर, श्री मंजूनाथ भजन्त्री, भा.प्र.से. से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया ।

विभागीय समीक्षोपरान्त वर्णित वस्तुस्थिति के आलोक में श्री मनीष रंजन, भा.प्र.से. (झा:2002), तत्कालीन उपायुक्त, देवघर के विरुद्ध गठित आरोप पत्र ज्ञापन संख्या-6449, दिनांक 24.08.2018 पर उनसे प्राप्त बचाव बयान, विधि विभाग से प्राप्त मंतव्य एवं वर्तमान उपायुक्त, देवघर से प्राप्त प्रतिवेदन को सरकार द्वारा स्वीकृत करते हुए आरोपों को संचिकास्त करने का निर्णय लिया गया है ।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राज्य के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री मनीष रंजन, भा.प्र.से. (झा:2002), सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,
सरकार के अवर सचिव ।
